न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 55/2016

अपीलान्ट्स :–

1. भोमाराम पुत्र बाबुराम
2. पपुराम पुत्र बाबुराम
3. धापू देवी पत्नी बाबुराम

सभी कौम ढोली निवासीगण बावड़ी सेखाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. गणपतराम पुत्र बंशीलाल
2. नरपतराम पुत्र बंशीलाल
3. कंसुम्बी पत्नी बंशीलाल
4. नेमाराम पुत्र बंशीलाल
5. अचलाराम पुत्र बंशीलाल
6. रिड़मलराम पुत्र रतनाराम
7. पुरखाराम पुत्र पदमाराम
8. पुनाराम पुत्र पदमाराम
9. प्रभुराम पुत्र पदमाराम
10. जेठाराम पुत्र पदमाराम
11. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम
12. छोटी देवी पत्नी पदमाराम

सभी कौम ढोली निवासीगण बावड़ी सेखाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

13. तहसीलदार, बालेसर तहसील कार्यालय बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.1998 द्वारा उप तहसीलदार बालेसर के आधार पर तरमीम बंटवाडा स्वीकृत करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह बांवरला उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 व 7 से 12 की ओर से अभिभाषक श्री रमेश भादू उपस्थित।

–: आदेश :– **दिनांक :–**03.08.2018

अपीलार्थीगण के अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह बांवरला ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.1998 जो उपतहसीलदार, बालेसर के आधार पर तरमीम बंटवाडा स्वीकृत करने के विरूद्ध

पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि गांव सेखाला वर्तमान राजस्व गांव बावड़ी पटवार मण्डल सेखाला तहसील बालेसर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1149 रकबा 60.07 बीघा का अधीनस्थ न्यायालय ने पारिवारिक बंटवाडा पेश कर खातेदारान के मध्य बंटवाडा कर बट्टा नं0 अंकित कर रकबा दर्ज किया गया इस बंटवाडे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी सेखाला को उपरोक्त बंटवाडे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद करने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जारी नोटिस विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 7 से 12 तक की ओर से अभिभाषक श्री रमेश भादू ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में वक्त बहस के दौरान अपीलान्ट अभिभाषक ने अवगत कराया कि पक्षकारानों के बीच आपसी समझाइश के कारण समझौता हो गया है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने लिखित में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने बाबत् लोक अदालत की भावना से व आपसी समझाइश से राजीनामा हो गया है। इस कारण उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने लिखित में पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने में रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति/एतराज नही है। अपील में दर्ज भूमि के जमाबन्दी के अनुसार नक्शे में खसरा नं0 गलत है। जिसकी हाल ही में जानकारी हुई है इसलिए उक्त बंटवाडे के तरमीम को खारिज करने में सहमति है। अतः राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार करावें व पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का निवेदन किया।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार, बालेसर के समक्ष प्रस्तुत सहमति के आधार पर बंटवाड़ा प्रार्थना–पत्र पर दिये गये आदेश के करीब 16 वर्ष पश्चात् पेश हुई। प्रथमतः अपील अत्यन्त विलम्ब से पेश की गई, द्वितीयतः आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा मौजूदा अपीलार्थीगण के मध्य ने होकर उनके पूर्वजों के मध्य हुआ था। अतः अपीलार्थी उस

दौरान पक्षकारान भी नहीं होने से सुनवाई का अवसर क्यों दिया जाना चाहिए, अपील में स्पष्ट नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 (1) में स्पष्ट किया गया कि ''तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि इस अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 में उल्लेखित है, के विरूद्ध अपील'' यदि आदेश तहसीलदार ने दिया है तो कलक्टर के यहाँ होगी। चूँकि पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत् बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से किया गया। अतः पूर्व में आपसी सहमति के आधार पर किये गये बंटवाड़ा आदेश को मात्र इस अपील में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निरस्त कर पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल करना न्यायोचित नहीं समझता हूँ, परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में Lie नहीं होने एवं अत्यधिक विलम्ब से पेश होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर